

भाग-4

(33938/2018)

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या -
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।

स्वीकार करने के लिए
जाने की जाय है

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों को सुस्पष्ट
समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी
जाय।)

तिथि
स्थान.....

25/7/18


25/7/18

Pankaj Misra
हस्ताक्षर Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
नाम और पदनाम Forest Conservation Act, 1980
सरकारी मोहर U.P. Lucknow